

फर्द अहकाम

(नियम (26))

अदालत उपखण्ड 2-सिकराय सिकराय

सरकार बनाम सलहात/खारिज/आफीधीग/Amrsl

रसत मुकदमा नं० १५५५ मु० नं० 280/21

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई, वकीलो द्वारा कार्य
स्थगन/प.० सा राज्य कार्य में ब्यस्त,
दौरे पर होने पे जनरल तारीख पेड़ी
लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 6.9.21
को पेश हो।

09
पत्रावली पेश हुई, वकीलो द्वारा कार्य
स्थगन/प.० सा राज्य कार्य में ब्यस्त,
दौरे पर होने पे जनरल तारीख पेड़ी
लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 11.9.21
को पेश हो।

14
पत्रावली पेश हुई, वकीलो द्वारा कार्य
स्थगन/प.० सा राज्य कार्य में ब्यस्त,
दौरे पर होने पे जनरल तारीख पेड़ी
लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 14.9.21
को पेश हो।

17
पत्रावली पेश हुई, वकीलो द्वारा कार्य
स्थगन/प.० सा राज्य कार्य में ब्यस्त,
दौरे पर होने पे जनरल तारीख पेड़ी
लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 17.9.21
को पेश हो।

3/22
पत्रावली पेश की वकील उमरपुर उमर अहम उपखण्ड 2-सिकराय
में जज के पास पत्र खारिज किया जाता है। वह एक दाना उनी
11/5, वकील प्रो. डाल रक्षा गया कि प्रशमन 22/11/21 को
डिफेंडर को पत्र-पुकार है अतः दाना खारिज
करमाना जाये। अहम का मकान डिफेंडर को पत्रावली
में अहम के स्वाक्षेफात का अल्लोयन किया गया।
अतः दाना खारिज होने के कारण रक्षा
व्यपक खारिज किया जाता है। पत्रावली अल्लोयन
शुमार होकर जाबर संकम

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (मैसा)